संख्या-244/2023/1585/22-2-2022-17(1298)/2022

प्रेषक,

सुरेश कुमार पाण्डेय,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 *लखनऊ: दिनांक 25 मई, 2023*

विषय:- जिला कारागार, बस्ती में निरूद्ध सिद्धदोष महिला बंदी विन्दवासिनी पत्नी श्री रामू, निवासी जनपद-बस्ती की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वरिष्ठ अधीक्षक, (मु0) कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या-17272/प्रोबे0-5-दया0 बैठक-17-05-2022 दिनांक 28-05-2022 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार जिला कारागार, बस्ती में निरूद्ध सिद्धदोष महिला बंदी विन्दवासिनी पत्नी श्री रामू, जो ग्राम-बानपुर, थाना-लालगंज, जनपद-बस्ती का निवासी है। महिला बंदी द्वारा पुरानी रंजिश के कारण दिनांक 17.08.2009 को 01 सहअभियुक्त के साथ मिलकर कैची से मारकर 10 माह के बच्चे बलवन्त की हत्या कारित की गयी। उक्त अपराध हेतु महिला बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-90/2009 में भा0द0वि0 की धारा-302/34 के अन्तर्गत मा0 न्यायालय, विशेष न्यायाधीश एस0सी0/एस0टी0 एक्ट, बस्ती के आदेश दिनांक 16.10.2010 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। महिला बंदी द्वारा दिनांक 13.02.2022 तक 11 वर्ष, 06 माह, 01 दिन की अपरिहार सजा तथा 15 वर्ष, 03 माह, 16 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला मजिस्ट्रेट एवं पुलिस अधीक्षक, बस्ती द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति की गयी है, परन्तु दयायाचिका समिति द्वारा जेल रिपोर्ट के अनुसार महिला बंदी की 51 वर्ष आयु, कारित अपराध की प्रकृति, महिला बन्दी द्वारा आजीवन कारावास की सजा के सापेक्ष अपरिहार 11 वर्ष, 06 माह, 01 दिन तथा सपरिहार 15 वर्ष, 03 माह, 16 दिन की भोगी गयी सजा के दृष्टिगत सभी बिन्दुओं पर सम्यक् विचारोपरान्त समिति द्वारा समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- अत: उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि जिला कारागार, बस्ती में निरूद्ध सिद्धदोष महिला बंदी विन्दवासिनी (बन्दी संख्या-4272/2010) पत्नी श्री रामू, निवासी जनपद-बस्ती की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
सुरेश कुमार पाण्डेय
विशेष सचिव।

संख्या-244/2023/1585(1)/22-2-2022 तद्दिनांक....

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, बस्ती।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, जिला कारागार, बस्ती।
3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
कृष्ण कुमार सिंह
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।